P.N.51
16.06.2020

| आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| | **न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा।**<br>नमान्तरण रिभिजन वाद सं0–03/2015–16<br>नन्दलाल विश्वकर्मा वगैरह – आवेदक<br>बनाम<br>नन्दकिशोर विश्वकर्मा वगैरह – विपक्षी<br>**आदेश** | |
| 27.5.2020 | यह रिभिजन वाद आवेदक लंगेश्वर लोहार पिता स्व0 बचनी लोहार ग्राम–अमरोरा, पो0–अमरोरा, थाना–खरौंधी के आवेदन पत्र पर प्रारम्भ किया गया है।<br>यह वाद उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, नगर उंटारी के नामांतरण अपील वाद सं0–08/2013–14 में दिनांक–25.02.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध यह रिभिजन वाद दायर किया गया है। विपक्षी नोटिश के पश्चात् अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना जवाब दाखिल किया गया। वाद की कार्यवाही के पश्चात् आवेदक लंगेश्वर लोहार की मृत्यु दिनांक–25.08.2016 को हो गई है, मृत्यु के पश्चात् इनके पुत्र नन्दलाल विश्वकर्मा, ललन विश्वकर्मा, एवं मोतीलाल विश्वकर्मा को आवेदन के रूप में प्रति स्थापित किया गया।<br>आवेदक का संक्षेप में कहना है की अंचल अधिकारी, खरौंधी के नामांतरण वाद सं0–148/2010–11 में जो विपक्षी के नाम से दाखिल–खारिज की स्वीकृति दी गई है, वह तथ्यों एवं बीना सम्यक् विचार किये हुए दी गई है। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, नगर उँटारी के नामान्तरण अपील वाद सं0–08/2013–14 में भी अंचल अधिकारी, खरौंधी के नामान्तरण को यथावत रखते हुए आवेदक का आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया गया, जो विधि संगत नहीं है।<br>आवेदक का यह भी कहना है की प्रश्नगत भूमि पर आवेदक वर्षो से दखल–कब्जा में है, जिसे विपक्षी ने केवाला सं0–3351 दिनांक–09.05.2008 के द्वारा मेरे ही फरीख से मेरे हिस्से की भूमि का केवाला कराकर नामान्तरण करा लिया गया है। उक्त नामान्तरण को अंचल अधिकारी, खरौंधी के द्वारा आवेदक को बीना सूचना दिये ही नामान्तरण की स्वीकृति दी गई है, जो नियमानुसार उचित नहीं है। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, नगर उँटारी के द्वारा भी बीना जाँच पड़ताल के अंचल अधिकारी, खरौंधी के नामान्तरण वाद सं0–148/2010–11 में पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी का अपील आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया गया है। | |

अपीलार्थी का अंत में अनुरोध है कि उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, नगर उँटारी के नामान्तरण वाद सं0–08/2013–14 में पारित आदेश को रद्द करते हुए आवेदक के नाम से दाखिल–खारिज करने का आदेश अंचल अधिकारी, खरौंधी को दिया जाए।

विपक्षी का संक्षेप में कहना है की प्रश्नगत भूमि का खाता सं0–04, प्लॉट सं0–335, रकबा–0.03 एकड़ भूमि का दानपत्र सं0–3551 दिनांक–09.05.2008 के द्वारा फुलमति कुँवर से प्राप्त किया गया है और उसी आधार पर विपक्षी का नामान्तरण अंचल अधिकारी, खरौंधी के द्वारा नामान्तरण वाद सं0–148/2010–11 विपक्षी के नाम से स्वीकृति दी गई, स्वीकृति के पश्चात् लगान रसीद निर्गत किया गया। विपक्षी का यह भी कहना है कि विगत सर्वेक्षणकाल में उपरोक्त खाता सं0–04 गजाधर लोहार के नाम से रैयती दर्ज थी, गजाधर लोहार के 03 (तीन) पुत्र भरोसा लोहार, शिवनन्दन लोहार एवं बचनी लोहार हुए, जिस में से भरोसा लोहार की नावल्द मृत्यु हो गई बचनी लोहार के एक मात्र पुत्र लंगेश्वर लोहार हुए जो इस वाद के आवेदक है। शिवनन्दन लोहार के 05 (पॉच) पुत्र हुए जिसमें नरसिंह लोहार, बलीराम लोहार, गया राम लोहार, मुन्दिका लोहार, पलटन लोहार हुए। वो सभी हिस्सेदारों के बीच आपसी बटवारा हो गया और प्रश्नगत भूमि नरसिंह लोहार को प्राप्त हुई। नरसिंह लोहार को कोई पुत्र नहीं था केवल 02 (दो) पुत्रियॉ राज कुमारी देवी एवं उषा देवी हुए एवं विधवा फुलमति कुँवर हुए। विपक्षीगण उषा देवी के पुत्रीगण है ये विपक्षी नरसिंह लोहार एवं उसकी पत्नी की सेवा–सत्कार करते थे, जिसे प्रसन्द हो कर फुलमती कुँवर ने प्रश्नगत भूमि का दानपत्र सं0–3551, दिनांक–09.05.2008 के द्वारा अन्तरण कर दिया और उसी के आधार पर अंचल अधिकारी, खरौंधी के द्वारा जॉचोपरान्त नामान्तरण वाद सं0–148/2010–11 में दिनांक–09.08.2010 को विपक्षी के पक्ष में प्रश्नगत भूमि का नामान्तरण स्वीकृत कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, नगर उँटारी के न्यायालय में अपील दायर किया गया, जिसे निम्न न्यायालय उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, नगर उँटारी ने अंचल अधिकारी, खरौंधी के द्वारा विपक्षी के नाम से किये गये नामान्तरण को यथावत रखते हुए अपीलार्थी का अपील आवेदन पत्र को खारिज कर दिया गया।

विपक्षी का अन्त में अनुरोध है कि निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते हुए आवेदक का आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाय।

मामले पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुनने एवं इनके द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त स्पष्ट होता है कि आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर दखल–कब्जा नहीं होने के कारण अंचल अधिकारी, खरौंधी के द्वारा नामान्तरण की स्वीकृति नहीं दी गई। विपक्षी के द्वारा क्रय की गई जॉचोपरान्त एवं प्रश्नगत भूमि पर दखल–कब्जा के आधार पर स्वीकृति दी गई है, जो सभी दृष्टिकोण से उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, नगर उँटारी के नामान्तरण अपील वाद सं0–08/2013–14 में दिनांक–25.02.2015 को जो आदेश पारित किया गया है वो विधि एवं न्याय के दृष्टिकोण से नियमानुसार उचित है, जिस में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अतः उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, नगर उँटारी के नामान्तरण अपील वाद सं0–08/2013–14 में दिनांक–25.02.2015 को पारित आदेश को यथावत रखते हुए आवेदक का आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा।

अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा।